रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003—05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 10] नई दिल्ली, अप्रैल 21—अप्रैल 27, 2013, शनिवार/वैशाख 1—वैशाख 7, 1935
No. 10] NEW DELHI, APRIL 21—APRIL 27, 2013, SATURDAY/VAISAKHA 1—VAISAKHA 7, 1935

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, 22 अप्रैल, 2013

का.नि.आ. 21.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और रक्षा संपदा (समूह 'ग' और समूह 'घ') भर्ती नियम, 1988 को जहां तक उनका संबंध चेनमैन, फोरेस्ट गार्ड, दपतरी, चपरासी, माली, मजदूर, चौकीदार और सफाई वाला से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने से लोप किया गया है, रक्षा मंत्रालय के अधीन रक्षा संपदा संगठन में समूह 'ग' बहुकार्य कर्मचारिवृंद के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा संपदा (समूह 'ग' और समूह 'घ') भर्ती नियम, 2013 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान.**—उक्त पद की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं.**— उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता:** वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. *शिथिल करने की शक्ति.*—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. *व्यावृत्ति.*—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बहुकार्य कर्मचारिवृन्द	98* (2013) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ग" अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-1, 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 1800 रु.	लागू नहीं होता	आयु 18 वर्ष से 25 वर्ष के बीच । टिप्पण 1: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोराम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) टिप्पण 2 : रोजगार कार्यालयों के माध्यम से भर्ती किए जाने की दशा में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की परीक्षा उत्तीर्ण (पद की विशेष अपेक्षा, यदि कोई हो, के अनुसार अंगीकृत किया जा सकता है)	लागू नहीं होता	दो वर्ष

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां, जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा ।
(10)	(11)
सीधे भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि पर विचार करने के संबंध में) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी : – 1. अपर महानिदेशक, (प्रशासन) रक्षा संपदा —अध्यक्ष 2. संबद्ध निदेशालय, रक्षा संपदा के निदेशक, रक्षा संपदा —सदस्य 3. उप महानिदेशक (प्रशासन) रक्षा संपदा —सदस्य	लागू नहीं होता

[सं. 124/114/प्रशा./डी ई/एम टी एस/113/आर. आर./र. (नि.)]

दलपत सिंह, अवर सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 22nd April, 2013

S. R. O. 21.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Defence Estates (Group'C' and Group'D') Recruitment Rules, 1988, in so far as they relate to the posts of Group'D' posts of Chainman, Forest Guard, Daftry, Peon, Mali, Mazdoor, Chowkidar and Safaiwala, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts Group 'C' Multi-tasking Staff, in Defence Estates Organisation, under the Ministry of Defence, namely :—

1. Short title and Commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Defence, Defence Estates Service Group'C' Multi-tasking Staff, Recruitment Rules, 2013.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification, pay band and grade pay or pay scale.—The number of post, its classifications pay band and grade pay or pay scale attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit qualifications, etc. — The method of recruitment, age limit and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.** — No person, —

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.** — Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.** —Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concession required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, other backward classes,other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruitment.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Multi Tasking Staff	98* (2013) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Services, Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Pay Band-1, Rs. 5200—20200 plus Grade pay of Rs. 1800	Not applicable	Between 18 and 25 years of age. **Note 1**: The crucial date of determining the age-limit shall be the closing date for receirpt of application, from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland,, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub-Divsion of Chamba District of Himachal Preadesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). **Note 2**: In the case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.

Educational and other qualification required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(7)	(8)	(9)
10th standard pass from a recognised Board; or	Not applicable	Two years

(7)
ITI pass* (*May be adopted as per special requirement of the post, if any).

Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made
(10)	(11)
By direct recruitment	Not applicable

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted.
(12)	(13)
Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of :— (i) Additional Director General (Administration), Defence Estates, Ministry of Defence — Chairman (ii) Director, Defence Estates, of the concerned Directorate, Defence Estates —Member (iii) Deputy Director General (Administration), Defence Estates —Member	Not applicable

[No. 124/114/ADM/DE/MTS/113/RR/D (Apptts.)]

DALPAT SINGH, Under Secy.

संशोधन

नई दिल्ली, 22 अप्रैल, 2013

प्रादेशिक सेना (टी ए) विनियम, 1948 (संशोधित संस्करण 1976) पैरा 31

का.नि.आ. 22 के तहत निम्नलिखित संशोधन किया जाता है :–

के लिये — ऑनरेरी कमीशन – केन्द्र सरकार द्वारा उच्च सरकारी अधिकारियों, थलसेना, वायुसेना और नौसेना के अधिकारियों तथा अच्छी सामाजिक हैसियत रखने वाले गैर-सरकारी व्यक्तियों को प्रादेशिक सेना में ब्रिगेडियर के रैंक तक का ऑनरेरी कमीशन प्रदान किया जा सकता है ।

पढ़ें — ऑनरेरी कमीशन – केन्द्र सरकार द्वारा उच्च सरकारी अधिकारियों, थलसेना, वायुसेना और नौसेना के अधिकारियों तथा अच्छी सामाजिक हैसियत रखने वाले गैर – सरकारी व्यक्तियों (जिसमें पुरूष एवं महिला दोनों शमिल हैं) को प्रादेशिक सेना में ब्रिगेडियर के रैंक तक का ऑनरेरी कमीशन प्रदान किया जा सकता है ।

[मामला सं. 42446/ऑनरेरी/टी ए-4/179/US/D(GS-III)]

सुनीता धेवाल, अवर सचिव

फुटनोट :– प्रादेशिक सेना अधिनियम, 1948 को भारत सरकार के राजपत्र में का. नि. आ. सं 252 ए दिनांक 12 फरवरी, 1949 द्वारा प्रकाशित किया गया है तथा इसके पैरा 31 में अंतिम संशोधन सी. एस. सं. 268/III/86 द्वारा किया गया है ।

1491 GI/13—